



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

No. 578]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

का.आ. 696(अ).—खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ०97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(1) सारणी-1 में,-

- (क) क्रम संख्या 1 (i) पर कॉलम (2) में “निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3 कीड स्ट्रीट, कोलकाता- 700016” शब्दों को “निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3 कीड स्ट्रीट, कोलकाता- 700016” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 4 (ii) पर कॉलम (2) में “निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3 कीड स्ट्रीट, कोलकाता- 700016” शब्दों को “निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3 कीड स्ट्रीट, कोलकाता- 700016” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 1(ii) पर कॉलम (2) में “निदेशक, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014” शब्दों को “निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 4(i) पर कॉलम (2) में “निदेशक, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014” शब्दों को “निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) सारणी-2 में, क्रम संख्या 12 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम	एतद्विनि परिभाषित परीक्षण के विस्तार के अनुसार पूरे भारत में
(1)	(2)	(3)
“12.	निदेशक, सीएसआईआर- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001	खाद्य वस्तुओ (फलो, सब्जियों, आनाजो, मांस, मछली और तेल) का कीटनाशी अवशेष, भारी धातुओं, माइकोटॉक्सिन और सूक्ष्म जैविकीय विश्लेषण। जल का कीटनाशी अवशेष, भारी धातुओ और सूक्ष्म जैविकीय विश्लेषण।

[फा. सं. 12013/01/2019-क्यू०ए०]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का०आ० 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

- (1) का०आ० 3695 (अ), तारीख 20 नवंबर, 2017; और
- (2) का०आ० 3827 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

S.O. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12th January, 2017, namely: —

(1) In TABLE -1, -

- (a) at serial number 1 (i) in column (2) the words “Director, Central Food Laboratory, 3 Kyd Street, Kolkata - 700016” shall be substituted with “Director, National Food Laboratory, 3 Kyd Street, Kolkata - 700016;
- (b) at serial number 4 (ii) in column (2) the words “Director, Central Food Laboratory, 3 Kyd Street, Kolkata - 700016” shall be substituted with “Director, National Food Laboratory, 3 Kyd Street, Kolkata - 700016;
- (c) at serial number 1(ii) in column (2) the words “Director, Food Research and Standardization Laboratory, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad-201014.” shall be substituted with “Director, National Food Laboratory(NFL), Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad- 201014;
- (d) at serial number 4 (i) in column (2) the words “Director, Food Research and Standardization Laboratory, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad-201014.” shall be substituted with “Director, National Food Laboratory(NFL), Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad- 201014.

(2) In TABLE – 2, for the serial number 12, the following entries shall be substituted, namely, -

Serial No.	Name of the Referral Food Laboratory	All over India – as per Scope of Testing defined hereunder
(1)	(2)	(3)
12	Director, CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Vishvigyan Bhawan, 31, Mahatama Gandhi Marg, Lucknow, Uttar Pradesh-226001	Pesticide Residues, Heavy Metals, Mycotoxin and Microbiological analysis of food (Fruits, Vegetables, Cereals, meat, Fish & oil) commodities. Pesticide Residues, Heavy Metals and Microbiological analysis of Water.

[F. No. 12013/01/2019-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 97(E), dated the 10th January, 2017 and subsequently amended *vide*:—

- (i) S.O. number 3695(E), dated the 20th November, 2017; and
- (ii) S.O. number 3827(E), dated the 31st July, 2018.